The Court Fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1958

Act 15 of 1958

Keyword(s):
Central Act Amendment, Court Fees Act, Court, Fee

Amendments appended: 13 of 2011, 3 of 2013, 27 of 2017

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 of 1958

THE COURT FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 1958

TABLE OF CONTENTS

Sections		Page
1.	Short title.	29
2.	Amendment of Schedules to the Court Fees Act, 1870 (No. VII of 1870).	29
3.	Continuance of stamps of old denominations.	29

MADHYA PRADESH ACT

(No. 15 of 1958)[1]

THE COURT FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 1958

(Received the assent of the Governor on the 23rd June 1958; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" Extraordinary on the 3rd July, 1958.)

An Act to amend the Court Fees Act, 1870, in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Court Fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1958.

Amendment of Schedules to the Court Fees Act, 1870 (No.VII of 1870).

2. In the Court Fees Act, 1870—

(*i*) in Schedules I and II for the words "Two annas" "Five annas" "Five annas and four pies" or "Five annas and pies four", "Eight annas", "Ten annas" and "Ten annas and eight pies", wherever they occur whether in conjunction with any other words or otherwise, the words "Ten Naye Paise", "Thirty Naye Paise", "Thirty- five Naye Paise", "Fifty Naye Paise", "Sixty Naye Paise" and "Sixty-five Naye Paise" shall be substituted respectively;

(*ii*) in Schedule I in the Table of rates of *advolorem* fees leviable on the institution of suits under Article I-A, in column (3)–

(*a*) for the letters "a. p.", the letters "N.P." shall be substituted; and

(*b*) for the figures "8-0", "5-0" and "10-0", the figures "50", "30" and "60" shall be substituted respectively; and

(*iii*) in Schedule III for the letters "a-p." with separate columns the letters "N. P." with a single column shall be substituted.

Continuance of stamps of old denominations.

3. The stamps denoting the fees chargeable under this Act in old denominations shall continue to be valid for a period of six months from the date of the commencement of the Court Fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1958 (15 of 1958) to the same extent to which they would have been valid if the said Act had not been passed.

---

1. For Statement of Objects and Reasons (in English) see "Madhya Pradesh Gazette," Extraordinary dated the 15th April 1958, page 667 and (in Hindi) 668. For proceedings in Assembly see Madhya Pradesh Vidhan Sabha Proceedings, 1958, Volume III, pages 2924 to 2927.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल 2011—वैशाख 6, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 2602-164-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 अप्रैल, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०११

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक २३ अप्रेल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २६ अप्रैल, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची २ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, अनुच्छेद १ में, खण्ड (ख) में, मद (एक), (दो) तथा (तीन) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(एक)	जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम एक लाख रुपये तक हो.	न्यूनतम दो सौ रुपये के अध्यधीन रहते हुए अनादृत चैक की रकम का पांच प्रतिशत.
(दो)	जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम एक लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख तक हो.	न्यूनतम पांच हजार रुपये और ऐसी रकम पर जो एक लाख रुपये से अधिक हो, चार प्रतिशत.
(तीन)	जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम पांच लाख रुपये से अधिक हो.	न्यूनतम इक्कीस हजार रुपये और ऐसी रकम पर, जो पांच लाख रुपये से अधिक हो, अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए तीन प्रतिशत.".

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2011

क्र. 2603-164-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.13 OF 2011.

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 23rd April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th April,2011.]

An Act further to amend the Court-fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Court-fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendemnt of Central Act No. VII of 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) (hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendement of Schedule II.

3. In the Schedule II to the principal Act, in article 1, in clause (b), for items (i), (ii) and (iii) and entries relating thereto, the following items and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

" (i) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is upto one lakh	Five percent of the amount of dishonoured cheque subject to the minimum of two hundred rupees.
(ii) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is more than one lakh rupees but upto five lakh rupees.	Minimum five thousand rupees, plus four percent on the amount in excess of one lakh rupees.
(iii) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is more than five lakh rupees.	Minimum twenty one thousand rupees, plus three percent on the amount in excess of five lakh rupees subject to maximum one lakh fifty thousand rupees.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जनवरी 2013—पौष 19, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 145-10-इक्कीस-अ (प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०१३.

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१२.

[दिनांक ८ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ९ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची 2 का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, अनुच्छेद ११ में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, उचित फीस से संबंधित कालम में, शब्द "अपील में दावाकृत वर्धित रकम का दस प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए अपील में दावाकृत वर्धित रकम का ढाई प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 146-10-इक्कीस-अ (प्रा)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश. संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 3 OF 2013.

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th January, 2013.]

An Act further to amend the Court-fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Court-fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2012.

Amendment of Central Act No. VII of 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) (hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule II.

3. In Schedule II to the principal Act, in article 11, in clause (a), in sub-clause (i), in the column pertaining to proper fee, for the words "Ten percent of the enhanced amount claimed in appeal", the words "Two and one half percent of the enhanced amount claimed in appeal subject to a maximum of one lac rupees" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 477] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017—भाद्र 10, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्र. 14245-199-इक्कीस-अ-(प्रा.).—अधि. मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 अगस्त, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०१७

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.
३. धारा १३ का संशोधन.
४. धारा १४ का संशोधन.
५. धारा १५ का संशोधन.
६. धारा १६ का संशोधन.
७. धारा २५ का संशोधन.
८. धारा २७ का संशोधन.
९. धारा ३० का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०१७

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७

[दिनांक २९ अगस्त, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ सितम्बर, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा १३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १३ में, शब्द "अपील न्यायालय अपीलार्थी को एक प्रमाण पत्र अनुदत्त करेगा जो अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की पूरी रकम कलक्टर से वापस पाने के लिये उसे प्राधिकृत करेगा:" के स्थान पर, शब्द "अपील न्यायालय, अपीलार्थी को एक प्रमाण पत्र, अनुदत्त करेगा जो अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की पूरी रकम, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा वापस पाने के लिये उसे प्राधिकृत करेगा:" स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १४, में, शब्द "एक प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी, फीस कलक्टर से वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा जितनी उस फीस से अधिक है, जो आवेदन के ऐसे दिन के पूर्व पेश किए जाने की दशा में संदेय होती." के स्थान पर, "एक प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा, जितनी उस फीस से अधिक है, जो आवेदन के ऐसे दिन के पूर्व पेश किए जाने की दशा में संदेय होती." स्थापित किए जाएं.

धारा १५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १५ में, शब्द "आवेदक न्यायालय से एक प्रमाण पत्र पाने का हकदार होगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस कलक्टर से वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा जितनी उस फीस से अधिक है, जो न्यायालय में दिए गए किसी अन्य आवेदन पर इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के संख्यांक १ के खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन संदेय होती.", के स्थान पर, शब्द "आवेदक न्यायालय से प्रमाणपत्र पाने का हकदार होगा जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा, वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा, जितनी उस फीस से अधिक है जो ऐसे न्यायालय में दिये गये किसी अन्य आवेदन पर इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के संख्यांक १ के खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन संदेय होती" स्थापित किए जाएं.

धारा १६ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १६ में, शब्द "वादी, न्यायालय से प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा जो उसे ऐसे वाद के संबंध में, संदत्त फीस की पूरी रकम कलक्टर से वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा", के स्थान पर, शब्द "वादी, न्यायालय से प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा जो उसे ऐसे वाद के संबंध में, संदत्त फीस की पूरी रकम, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा" स्थापित किए जाएं.

धारा २५ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २५ में, शब्द "स्टाम्पों" के स्थान पर, शब्द "स्टाम्पों या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, राज्य सरकार को भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण" स्थापित किए जाएं.

धारा २७ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २७ में, खण्ड (क) को खण्ड (क क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किए गए खण्ड (क क) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा न्यायालय फीस के भुगतान और उसके प्रतिदाय की रीति;".

धारा ३० का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ३० में, द्वितीय पैराग्राफ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु जहां न्यायालय फीस, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा संदत्त की जाती है तो स्टाम्प निरस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी, भुगतान की वास्तविकता को सत्यापित करेगा और न्यायालय फीस के संदाय से स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात्, कम्प्यूटर में प्रविष्टि को दर्ज करेगा तथा दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर के साथ एक पृष्ठांकन करेगा कि न्यायालय फीस संदत्त हो गई है तथा प्रविष्टि दर्ज की गई है.".

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्र. 14245-199-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 27 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 27 OF 2017

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Central Act No. VII of 1870, in its application to the State of Madhya Pradesh.
3. Amendment of Section 13.
4. Amendment of Section 14.
5. Amendment of Section 15.
6. Amendment of Section 16.
7. Amendment of Section 25.
8. Amendment of Section 27.
9. Amendment of Section 30.

MADHYA PRADESH ACT

No. 27 OF 2017

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

[Received the assent of the Governor on the 29th August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st September, 2017].

An Act further to amend the Court-fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Court-fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2017.

Amendment of Central Act No. VII of 1870, in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) (hereinafter referred to as the principal Act), shall in its application to the State of Madhya Pradesh, be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Section 13.

3. In section 13 of the principal Act, for the words "the Appellate Court shall grant to the appellant a certificate, authorising him to receive back from the Collector the full amount of fee paid on the memorandum of appeal", the words "the Appellate Court shall grant to the appellant a certificate, authorising him to receive back from the Collector or by way of electronic transfer in such manner as may be prescribed, the full amount of fee paid on the memorandum of appeal" shall be substituted.

Amendment of Section 14.

4. In section 14 of the principal Act, for the words "grant him a certificate authorizing him to receive back from the Collector so much of the fee paid on the application as exceeds the fee which would have been payable had it been presented before such day", the words "grant him a certificate authorising him to receive back from the Collector or by way of electronic transfer in such manner as may be prescribed, so much of the fee paid on the application as exceeds the fee which would have been payable had it been presented before such day" shall be substituted.

Amendment of Section 15.

5. In section 15 of the principal Act, for the words "the applicant shall be entitled to certificate from the court authorizing him to receive back from the Collector so much of the fee paid on the application as exceeds the fee payable on any other application to such Court under the second schedule to this Act, No. 1, clause (b) or clause (d)", the words "the applicant shall be entitled to certificate from the court authorizing him to receive back from the Collector or by way of electronic transfer in such manner as may be prescribed, so much of the fee paid on the application as exceeds the fee payable on any other application to such court under the second schedule to this Act, No. 1, clause (b) or clause (e) or clause (f)" shall be substituted.

Amendment of Section 16.

6. In section 16 of the principal Act, for the words "the plaintiff shall be entitled to a certificate from the Court authorizing him to receive back from the Collector, the full amount of the fee paid in respect of such plaint", the words "the plaintiff shall be entitled to a certificate from the Court authorizing him to receive back from the Collector or by way electronic transfer in such manner as may be prescribed, the full amount of the fee paid in respect of such plaint" shall be substituted.

Amendment of Section 25.

7. In section 25 of the principal Act, for the words "stamps", the words "stamps or electronic transfer of payment to State Government in such manner as may be prescribed" shall be substituted.

8. In section 27 of the principal Act, clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before clause (aa) as so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 27.**

"(a) the manner of electronic transfer of payment of court-fee and refund thereof;".

9. In section 30 of the principal Act, in second paragraph, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:— **Amendment of Section 30.**

"Provided that, where court-fee is paid by electronic transfer of payment, the officer competent to cancel stamp shall verify the genuineness of the payment and after satisfying himself that the court-fee is paid, shall lock the entry in the computer and make an endorsement under his signature on the document that the court-fee is paid and the entry is locked.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.